

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला ।

सेवा में,

हरियाणा राज्य में सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या

यादी क्रमांक के0डब्लू0 4/36-2010 सी-1 (5)

दिनांक, पंचकूला। 25-9-2017

विषय:-

राजकीय महाविद्यालयों में एक्सटेंशन लैक्चरार रखने बारे-स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के यादी क्रमांक के0डब्लू0 4/36-2010 सी-1 (5) दिनांक 20.9.2017 के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 23.9.2017 को प्राचार्यों की हुई बैठक में उन्हे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि विभाग द्वारा भेजी गई सूचि **Exhaustive (Final)** नहीं है। उसके अलावा यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई भी **Extension lecturer**, जो पूर्व में किसी भी राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत था तथा योग्यता **(Ph.D./NET)** पूर्ण करता है, को रिक्ति के विरुद्ध समायोजित कर लिया जाए। इस बारे में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी योग्य प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएं जो पूर्व में किए गए कार्य बारे किसी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

अधीक्षक महाविद्यालय-1

कृते: महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,

हरियाणा, पंचकूला

Uploaded